मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते है। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, लेखापरीक्षा अधिदेश और अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2013-14 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 6,38,596 करोड़ थीं, जो जीडीपी के 5.6 *प्रतिशत* को दर्शाती है। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 53.9 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 56.1 *प्रतिशत* हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात निगम कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 3.56 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 3.95 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1.97 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2.38 लाख करोड़ हो गया।

कर छूटों के आधार पर छोड़े गए राजस्व में वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 1.02 लाख करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 1.16 लाख करोड़ की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2010-11 से इसमे निरपवाद रूप से वृद्धि हो रही हैं।

गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2012-13 में 367.87 लाख से घट कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 304.03 लाख हो गई, इसमे 17.4 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।

निगमित निर्धारितियों की संख्या 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 5.90 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6.36 लाख हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या (6.36 लाख) वित्तीय वर्ष 2012-13 में कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) में पंजीकृत कार्यरत कम्पनियों की संख्या (8.84 लाख) से भिन्न है।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 7.0 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.8 लाख मामलों का निपटान किया था जिससे लंबित मामलों में वृद्धि हुई।

हमने देखा कि लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों की संख्या में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 11.2 लाख से घटकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 8.8 लाख हो गई।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 4.86 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 5.75 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 94 *प्रतिशत* से अधिक कि असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2012-13 में 1.99 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.15 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) में इन मामलों में अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2.87 लाख करोड़ थी। 76,922 मामलों में उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/ उच्च न्यायालयों/ सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरूद्ध राशि में 31 मार्च 2013 को ₹ 1.5 लाख करोड़ (69,714 मामलें) की तुलना में 31 मार्च 2014 को ₹ 1.8 लाख करोड़ हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 3659.7 करोड़ की वसूली की।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2.13 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिनमें से हमने 1.77 लाख मामलों की जांच वित्तीय वर्ष 2013-14 में की। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में 0.17 लाख गलतियाँ थी जो औसतन 9.5 *प्रतिशत* थी।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 469 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से आयकर विभाग ने 144 मामले (31 *प्रतिशत*) स्वीकार कर लिए। 11 मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 40,638 मामले इक्ट्ठे हो गए जिनमें 31 मार्च 2014 तक ₹ 54,297.4 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,121.2 करोड़ के कर प्रभाव के 2,427 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

अध्याय III: निगम कर

हमने निगम कर से संबंधित 326 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 2,254.72 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 655.9 करोड़ (106 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 716.9 करोड़ (121 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 387.6 करोड़ (67 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 494.3 करोड़ (32 मामले) शामिल थे।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित 124 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 397.0 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया नामत: निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 262.7 करोड़ (38 मामले) शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 29.79 करोड़ (37 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 20.3 करोड़ (22 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 84.1 करोड़ (27 मामले) शामिल थे। इसके अलावा, हमने धन कर से संबंधित ₹ 2.0 करोड़ के कर प्रभाव वाले 19 मामलों के बारे में भी बताया।

अध्याय V: आयकर समझौता आयोग की कार्यप्रणाली और आयकर विभाग द्वारा इसके आदेशों को लागू करना

आयकर अधिनियम ने आवेदनों की फाइलिंग से लेकर आयोग द्वारा उनके निपटान तक के विभिन्न स्तरों और आयकर विभाग द्वारा इसके आदेशों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित की है। हमने आयोग और आयकर विभाग की तरफ से विभिन्न स्तरों पर काफी विलम्ब देखा क्योंकि 1 जून 2007 से पूर्व फाईल किए गए कई आवेदन निपटान हेतु अब भी आयोग के पास लंबित है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने आयोग को अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करने में और आयोग के आदेशों को प्रभावित करने में काफी समय लिया।